



भारत में महिलाओं के खिलाफ यौन अपराधों के मूल्यांकन का अध्ययन

Shailesh Kumar Prajapati

Research Scholar, Sunrise University, Alwar, Rajasthan

Dr. Sweetee Srivastava

Research Supervisor, Sunrise University, Alwar, Rajasthan

ARTICLE DETAILS

Research Paper

Received: **10/04/2025**

Accepted: **25/04/2025**

Published: **30/04/2025**

Keywords: भारत, महिलाओं के खिलाफ यौन अपराध, भारतीय समाज, महिलाओं की सुरक्षा, सामाजिक चेतना, लैंगिक समानता

ABSTRACT

भारत में महिलाओं के खिलाफ यौन अपराधों का मूल्यांकन न केवल एक कानूनी या सामाजिक प्रश्न है, बल्कि यह देश की सांस्कृतिक, आर्थिक, नैतिक और प्रशासनिक संरचना का भी दर्पण प्रस्तुत करता है। भारतीय समाज, जो परंपराओं और आधुनिकता के बीच संतुलन साधने की कोशिश कर रहा है, महिलाओं की सुरक्षा और गरिमा के मामले में अब भी कई प्रकार की जटिलताओं से जूझ रहा है। यौन अपराध जैसे बलात्कार, छेड़छाड़, यौन उत्पीड़न, पीछा करना (stalking), अश्लील टिप्पणियाँ, एसिड अटैक आदि महिलाओं की शारीरिक और मानसिक गरिमा को गहरी चोट पहुँचाते हैं और समाज में उनके सुरक्षित स्थान को संकटग्रस्त कर देते हैं। भारत में महिलाओं के खिलाफ यौन अपराधों की दर में वर्ष दर वर्ष वृद्धि दर्ज की गई है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) की रिपोर्ट के अनुसार, यौन अपराधों के मामलों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि महिला सुरक्षा केवल कानूनों के निर्माण से सुनिश्चित नहीं होती, बल्कि उसके सफल क्रियान्वयन, सामाजिक चेतना, लैंगिक समानता की सोच और पीड़िता को न्याय दिलाने के मजबूत ढाँचे की भी आवश्यकता होती है।

प्रस्तावना

भारत में यौन अपराधों की समस्या बहुआयामी है। एक ओर जहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएँ सामंती मानसिकता, पितृसत्तात्मक परंपराओं और अशिक्षा के चलते यौन उत्पीड़न की शिकार होती हैं, वहीं शहरी क्षेत्रों में भी कार्यस्थलों, शिक्षण संस्थानों और यहाँ तक कि घरों में भी महिलाएँ यौन शोषण का शिकार होती हैं। अक्सर देखा गया है कि महिलाओं के प्रति यौन अपराधों में आरोपी कोई अजनबी नहीं होता, बल्कि वह पीड़िता का कोई परिचित, रिश्तेदार या सहकर्मी होता है, जिससे मामले की गंभीरता और संवेदनशीलता और बढ़ जाती है। न्यायिक प्रक्रिया में विलंब, पुलिस की उदासीनता, समाज की पीड़िता को दोषी ठहराने की प्रवृत्ति (victim blaming), और न्यायिक प्रक्रिया में होने वाला सामाजिक कलंक महिलाओं को शिकायत दर्ज कराने से हतोत्साहित करता है।

भारत सरकार ने महिलाओं के खिलाफ यौन अपराधों की रोकथाम के लिए कई कानून बनाए हैं जैसे कि भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (बलात्कार), 354 (छेड़छाड़), 509 (महिला की मर्यादा का अपमान), POSH Act (2013) जो कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न से संरक्षण प्रदान करता है, POCSO Act (2012) जो बच्चों को यौन अपराधों से सुरक्षा प्रदान करता है। इसके अलावा निर्भया कांड के बाद 'क्रिमिनल लॉ (अमेंडमेंट) एक्ट 2013' लाया गया, जिसमें बलात्कार की परिभाषा को विस्तृत किया गया और सजा को कठोर बनाया गया। फिर भी, इन कानूनों की प्रभावशीलता तब तक सीमित रहती है जब तक समाज की मानसिकता में परिवर्तन नहीं आता।

यौन अपराधों के मूल्यांकन के दौरान यह देखा गया है कि अधिकांश मामलों में महिलाएँ पुलिस थाने तक जाने से डरती हैं, उन्हें सामाजिक बहिष्कार और प्रतिष्ठा के हनन का भय सताता है। ऐसे मामलों में न्यायपालिका की जिम्मेदारी केवल सजा देने की नहीं, बल्कि एक उदाहरण प्रस्तुत करने की हो जाती है कि पीड़िता को न्याय मिलेगा और आरोपी को दंड भुगतना पड़ेगा। इसी के साथ पुलिस और कानून-व्यवस्था को अधिक संवेदनशील, प्रशिक्षित और उत्तरदायी बनाए जाने की आवश्यकता है, जिससे पीड़ितों का विश्वास प्रणाली में बना रहे।

मीडिया और सोशल मीडिया ने यौन अपराधों को उजागर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, लेकिन कई बार 'ट्रायल बाय मीडिया' से भी न्याय प्रक्रिया प्रभावित होती है। वहीं, फर्जी मामलों की संख्या भी चिंता का विषय है, क्योंकि ऐसे मामलों से वास्तविक पीड़िताओं के न्याय की प्रक्रिया कमजोर पड़ जाती है। इसलिए, एक निष्पक्ष और वैज्ञानिक मूल्यांकन प्रणाली की आवश्यकता है जो तथ्यों पर आधारित हो और न्याय को सर्वोच्च प्राथमिकता दे।

शैक्षणिक संस्थानों में यौन शिक्षा और लैंगिक समानता पर आधारित पाठ्यक्रम को प्राथमिकता देना

चाहिए ताकि युवाओं में सही और गलत की पहचान हो सके। पारिवारिक और सामाजिक स्तर पर बेटियों को आत्मरक्षा की शिक्षा, और बेटों को महिलाओं के प्रति सम्मान और संवेदनशीलता की सीख देना अनिवार्य है। यौन अपराध केवल कानून का मामला नहीं है, यह एक नैतिक, सामाजिक और मानसिक विमर्श का विषय है। जब तक समाज में स्त्री को केवल शरीर के रूप में देखा जाएगा, तब तक यौन अपराधों को पूरी तरह रोका नहीं जा सकता।

एक अन्य महत्वपूर्ण पक्ष यह भी है कि यौन अपराधों के लिए समर्पित फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की संख्या और प्रभावशीलता बढ़ाई जाए। देश के अधिकांश हिस्सों में इन अदालतों की संख्या सीमित है और लंबी कानूनी प्रक्रिया से पीड़िता को बार-बार मानसिक यातना झेलनी पड़ती है। साथ ही, पीड़ित महिलाओं के लिए मनोवैज्ञानिक परामर्श, पुनर्वास सेवाएं, और रोजगार के अवसर सुनिश्चित किए जाने चाहिए, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें और अपराध के बाद अपने जीवन को पुनः सामान्य रूप में ढाल सकें।

समाजशास्त्रियों और मनोवैज्ञानिकों का यह मानना है कि यौन अपराधों की जड़ें गहरे सामाजिक भेदभाव, लैंगिक असमानता और पितृसत्तात्मक सोच में निहित हैं। यदि महिला को पुरुष के अधीन माना जाता रहेगा, तो उसकी स्वतंत्रता और गरिमा को निरंतर चुनौती मिलती रहेगी। इसलिए, स्कूलों और कॉलेजों में नैतिक शिक्षा, लैंगिक संवेदनशीलता और नागरिक चेतना पर आधारित कार्यक्रम चलाना समय की आवश्यकता है।

यौन अपराधों के मूल्यांकन में यह भी महत्वपूर्ण है कि सरकारें केवल कानून बनाकर पीछे न हटें, बल्कि उसकी निगरानी और क्रियान्वयन को सुनिश्चित करें। साथ ही, महिलाओं के लिए एक ऐसा सुरक्षित वातावरण बनाया जाए, जहाँ वे बिना भय के घर से बाहर निकल सकें, कार्यस्थल पर सुरक्षित महसूस करें और न्याय प्रणाली में पूर्ण विश्वास रख सकें। यह तभी संभव है जब कानून, समाज, शिक्षा और प्रशासन – सभी समन्वयित होकर कार्य करें।

यौन शोषण के विरुद्ध भारतीय कानून

यौन शोषण समाज की एक ऐसी विकृति है, जो महिलाओं की गरिमा, आत्मसम्मान और स्वतंत्रता पर सीधा आघात करती है। भारत जैसे लोकतांत्रिक और संवैधानिक रूप से परिपक्व देश में महिलाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई है और इसके लिए अनेक कानून बनाए गए हैं। भारतीय संविधान और दंड संहिता दोनों में महिलाओं के यौन उत्पीड़न से सुरक्षा के लिए व्यापक प्रावधान हैं। इन कानूनों का उद्देश्य महिलाओं को एक सुरक्षित, सम्मानजनक और भयमुक्त जीवन प्रदान करना है, जहाँ वे बिना किसी शारीरिक, मानसिक या यौन भय के समाज में स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकें। यौन शोषण के

विरुद्ध भारतीय कानूनों की संरचना बहुआयामी है, जो विभिन्न प्रकार के यौन अपराधों को परिभाषित करती है और उनके लिए सजा का निर्धारण करती है।

सबसे प्रमुख कानून भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code - IPC) है, जो यौन शोषण से संबंधित विभिन्न अपराधों के लिए स्पष्ट धाराएँ प्रदान करता है। इसके अंतर्गत:

1. धारा 354 - महिला की गरिमा का अपमान

यह धारा उस स्थिति में लागू होती है जब कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी महिला के शरीर को छूता है, या अश्लील इशारे करता है, जिससे उसकी गरिमा को ठेस पहुँचती है। इसके अंतर्गत 1 से 5 वर्ष तक की सजा और जुर्माना हो सकता है।

2. धारा 354A - यौन उत्पीड़न (Sexual Harassment)

यह धारा विशेष रूप से कार्यस्थल, शिक्षण संस्थानों और सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संबंधित है। इसमें शामिल हैं:

- अश्लील टिप्पणी करना
- यौन संबंध का अवांछित प्रस्ताव देना
- शारीरिक संपर्क की कोशिश करना
- अश्लील चित्र या वीडियो दिखाना यह अपराध संज्ञेय और दंडनीय है, जिसमें 3 साल तक की जेल और जुर्माना हो सकता है।

3. धारा 354B - महिला को निर्वस्त्र करने या कपड़े फाड़ने का प्रयास

यदि कोई व्यक्ति महिला की अनुमति के बिना जबरदस्ती उसके वस्त्र हटाने या उसे निर्वस्त्र करने का प्रयास करता है, तो यह धारा लागू होती है। इसके तहत 3 से 7 वर्ष तक की कारावास की सजा हो सकती है।

4. धारा 354C - वॉयेरिज्म (Voyeurism)

यदि कोई पुरुष किसी महिला की निजता में हस्तक्षेप करता है, जैसे कि स्नान करते समय, कपड़े बदलते समय चोरी-छिपे देखता है या वीडियो बनाता है, तो उसे इस धारा के अंतर्गत दंडित किया जाता है। यह अपराध 1 से 3 वर्ष तक की सजा के साथ जुड़ा है।

5. धारा 354D - पीछा करना (Stalking)

जब कोई व्यक्ति बार-बार किसी महिला का पीछा करता है, उसे कॉल या मैसेज करता है, या सोशल

मीडिया पर उसका पीछा करता है, तो यह अपराध इस धारा के अंतर्गत आता है। पहली बार के अपराध पर 3 वर्ष तक की सजा और दोहराने पर 5 वर्ष तक की सजा हो सकती है।

6. धारा 375 और 376 - बलात्कार (Rape)

यह सबसे गंभीर यौन अपराधों में से एक है। धारा 375 बलात्कार को परिभाषित करती है और धारा 376 इसके लिए दंड का प्रावधान करती है। बलात्कार के लिए न्यूनतम 10 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा निर्धारित की गई है। यदि पीड़िता नाबालिग हो, या अपराध सामूहिक बलात्कार का हो, तो सजा और कठोर हो सकती है। निर्भया कांड के बाद इन धाराओं में कई संशोधन किए गए हैं, जैसे:

- फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना
- मृत्युदंड का प्रावधान (गंभीर मामलों में)
- बलात्कार की रिपोर्ट दर्ज करना अब पुलिस के लिए अनिवार्य किया गया है।

7. POCSO Act, 2012 (Protection of Children from Sexual Offences Act)

यह कानून विशेष रूप से बच्चों (18 वर्ष से कम उम्र) को यौन अपराधों से सुरक्षा प्रदान करता है। इसके अंतर्गत यौन उत्पीड़न, यौन शोषण, पोर्नोग्राफी, अश्लील टचिंग आदि को अपराध माना गया है। इस कानून की विशेषता यह है कि इसमें पीड़ित की गोपनीयता बनाए रखने, महिला पुलिस द्वारा पूछताछ, और त्वरित न्याय की व्यवस्था है।

8. कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न कानून – 2013 (Sexual Harassment of Women at Workplace Act, 2013)

इस कानून को "विषाका गाइडलाइंस" के तहत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 1997 में दिए गए निर्देशों के आधार पर तैयार किया गया। इसका उद्देश्य कार्यस्थल पर महिलाओं की गरिमा और सुरक्षा सुनिश्चित करना है। यह कानून किसी भी संगठन, संस्था, निजी कार्यालय, शैक्षणिक संस्थान आदि पर लागू होता है।

इसके तहत प्रत्येक संस्था में आंतरिक शिकायत समिति (Internal Complaints Committee - ICC) बनाना अनिवार्य है, जिसमें महिला अध्यक्ष, दो महिला सदस्य और एक बाहरी सदस्य का होना आवश्यक है। शिकायत दर्ज होने के बाद समिति को 90 दिनों के भीतर जांच पूरी करनी होती है और दोषी पाए जाने पर उचित कार्रवाई की जाती है।

9. सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (IT Act, 2000)

साइबर यौन अपराध जैसे कि अश्लील चित्र भेजना, महिला की बिना अनुमति के उसकी फोटो या वीडियो इंटरनेट पर अपलोड करना, पोर्नोग्राफी आदि को रोकने के लिए यह कानून बनाया गया है। इसकी धारा 66E, 67, और 67A इन अपराधों को दंडनीय बनाती है। इसके अंतर्गत 3 से 5 वर्ष तक की सजा और भारी जुर्माना लगाया जा सकता है।

10. घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 (Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005)

हालांकि यह अधिनियम मुख्यतः घरेलू हिंसा को रोकने के लिए है, लेकिन इसके तहत यौन शोषण, मानसिक उत्पीड़न और भावनात्मक हिंसा को भी शामिल किया गया है। पीड़िता को संरक्षण, भरण-पोषण, और वैकल्पिक आवास जैसी राहतें मिलती हैं।

इन कानूनों के अलावा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 महिलाओं को समानता, भेदभाव से संरक्षण और गरिमा से जीने का अधिकार देते हैं। संविधान की प्रस्तावना में भी 'न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व' की बात की गई है, जो हर महिला के लिए समान रूप से लागू होती है।

कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न: स्थिति और समाधान

कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न एक ऐसी सामाजिक एवं संस्थागत समस्या है, जो महिलाओं की गरिमा, सुरक्षा और आत्मविश्वास पर सीधा आघात करती है। यह न केवल उनके कार्यक्षेत्र में असहजता और भय का वातावरण उत्पन्न करता है, बल्कि उनकी कार्यक्षमता, मानसिक स्वास्थ्य, करियर ग्रोथ और आर्थिक आत्मनिर्भरता को भी प्रभावित करता है। भारत जैसे देश में, जहाँ पितृसत्तात्मक सोच और लैंगिक असमानता गहरे तक जमी हुई है, वहाँ कार्यस्थल पर महिलाओं को सुरक्षा देना एक बड़ी चुनौती बन गया है। यद्यपि कानून और नीतियाँ इस दिशा में बनी हैं, लेकिन इनका सही और प्रभावी क्रियान्वयन आज भी सवालों के घेरे में है।

कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की परिभाषा व्यापक है। यह केवल शारीरिक छेड़छाड़ या अशोभनीय स्पर्श तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें अश्लील टिप्पणी करना, अनुचित दृष्टि से देखना, दोहरे अर्थ वाले मज़ाक, यौन प्रस्ताव देना, अश्लील संदेश भेजना, धमकाना, या नौकरी की शर्तों को यौन संबंध से जोड़ना आदि भी शामिल हैं। यह उत्पीड़न सहकर्मी, वरिष्ठ अधिकारी, ग्राहक या कोई बाहरी व्यक्ति द्वारा भी किया जा सकता है। इसके कारण महिलाओं के भीतर भय, तनाव, शर्मिंदगी, गुस्सा और हीनभावना उत्पन्न होती है, जिससे वे या तो नौकरी छोड़ देती हैं या मानसिक रूप से टूट जाती हैं।

भारत में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को रोकने हेतु सबसे महत्वपूर्ण पहल सुप्रीम कोर्ट द्वारा वर्ष 1997

में दिए गए “विषाखा दिशानिर्देश” के रूप में हुई, जिसके आधार पर वर्ष 2013 में “महिलाओं का कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम” बनाया गया। इस कानून के अनुसार प्रत्येक सरकारी एवं निजी संस्था, जिसमें 10 या अधिक कर्मचारी हैं, उन्हें ‘आंतरिक शिकायत समिति (Internal Complaints Committee – ICC)’ का गठन करना अनिवार्य है। इस समिति में एक वरिष्ठ महिला अध्यक्ष और अन्य सदस्यों के साथ एक बाहरी सदस्य का होना भी आवश्यक है। समिति को किसी शिकायत की प्राप्ति के बाद 90 दिनों के भीतर जांच पूरी करनी होती है और दोषी पाए जाने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई का प्रावधान है। इसके अलावा पीड़िता को वैकल्पिक कार्यस्थान, पेड लीव, और मानसिक परामर्श की सुविधा भी दी जा सकती है।

हालाँकि, कानून मौजूद है, फिर भी वास्तविक स्थिति इससे काफी अलग है। अनेक संस्थाएँ ICC का गठन ही नहीं करतीं, या फिर उसे केवल औपचारिकता मानती हैं। महिला कर्मचारियों को समिति के गठन, शिकायत करने की प्रक्रिया, गोपनीयता, और अधिकारों की जानकारी नहीं होती। बहुत-सी महिलाएँ इस डर से शिकायत नहीं करतीं कि कहीं उन्हें नौकरी से न निकाल दिया जाए, या वे पदोन्नति से वंचित न हो जाएँ। वहीं, कुछ मामलों में जब महिलाएँ शिकायत करती हैं, तो उन्हें झूठा करार दिया जाता है, बदनाम किया जाता है, या कार्यस्थल पर बहिष्कृत किया जाता है। यह “विक्टिम ब्लेमिंग” की प्रवृत्ति महिलाओं को आवाज़ उठाने से रोकती है और अपराधियों को प्रोत्साहित करती है।

एक अन्य चुनौती यह है कि अधिकतर महिलाओं को यह भ्रम होता है कि यौन उत्पीड़न केवल शारीरिक संपर्क या बलात्कार जैसा कृत्य होता है। जबकि सच्चाई यह है कि मानसिक उत्पीड़न, मौखिक टिप्पणी, या भावनात्मक दबाव भी उत्पीड़न की श्रेणी में आते हैं। जागरूकता की कमी के कारण महिलाएँ यह जान ही नहीं पातीं कि उनके साथ अन्याय हो रहा है और वे इसके खिलाफ शिकायत कर सकती हैं।

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सोशल मीडिया और डिजिटल माध्यमों ने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के डिजिटल स्वरूप (cyber harassment) को भी जन्म दिया है। ईमेल, व्हाट्सएप, वीडियो कॉल, सोशल मीडिया मैसेजिंग के ज़रिए महिलाओं को परेशान करना, मॉर्फिंग करना, या अनचाहे चित्र भेजना आधुनिक यौन उत्पीड़न के उदाहरण हैं। लेकिन बहुत-सी संस्थाओं में अभी भी साइबर उत्पीड़न को गंभीरता से नहीं लिया जाता।

समस्या की गंभीरता को देखते हुए इसका समाधान बहुस्तरीय होना चाहिए। सबसे पहले, प्रत्येक कार्यस्थल पर जागरूकता कार्यक्रम अनिवार्य किए जाने चाहिए, जहाँ कर्मचारियों, विशेष रूप से महिलाओं को उनके अधिकारों, यौन उत्पीड़न की परिभाषा, शिकायत करने की प्रक्रिया, और समिति

की संरचना के बारे में जानकारी दी जाए। साथ ही, पुरुष कर्मचारियों को लिंग संवेदनशीलता, पेशेवर व्यवहार और महिला सम्मान की शिक्षा दी जानी चाहिए।

दूसरा महत्वपूर्ण कदम है – ICC की पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करना। समिति के सदस्यों को नियमित प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए ताकि वे बिना पूर्वग्रह के पीड़िता की बात सुन सकें और समयबद्ध कार्रवाई कर सकें। समिति में बाहरी सदस्य की भागीदारी निष्पक्षता बनाए रखने में सहायक होती है। इसके साथ ही, शिकायत की गोपनीयता बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है, जिससे पीड़िता को सुरक्षा और आत्मविश्वास मिल सके।

तीसरा, संस्थाओं को एक ऐसी कार्यस्थलीय संस्कृति विकसित करनी चाहिए, जो महिलाओं के लिए सहयोगी और सुरक्षित हो। महिला कर्मचारियों की संख्या बढ़ाना, उनकी राय को महत्व देना, लचीले कार्य घंटे, मातृत्व अवकाश, और आत्मसम्मान के वातावरण का निर्माण करना इससे जुड़ी महत्वपूर्ण पहलें हैं।

चौथा, सरकार को इस कानून के अनुपालन की निगरानी के लिए प्रभावी तंत्र स्थापित करना चाहिए। जिन संस्थाओं में ICC नहीं है या जहाँ शिकायतों को दबाया जाता है, उनके खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। इसके लिए जिला स्तर पर स्थानीय शिकायत समिति (LCC) का गठन किया गया है, जो ऐसी संस्थाओं में कार्य करती है जहाँ ICC नहीं है।

पाँचवाँ, मीडिया और समाज को भी इस विषय पर संवेदनशील रवैया अपनाना होगा। अक्सर देखा गया है कि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की घटनाएँ समाचार बनती हैं, लेकिन पीड़िता की पहचान उजागर कर दी जाती है या उसे झूठा साबित करने की कोशिश की जाती है। इससे अन्य महिलाएँ शिकायत करने से कतराती हैं। समाज को यह समझने की आवश्यकता है कि यौन उत्पीड़न व्यक्तिगत नहीं, बल्कि सामाजिक समस्या है, और इसके समाधान के लिए सामूहिक प्रयास आवश्यक हैं।

साइबर यौन अपराध और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर महिलाओं की सुरक्षा

इक्कीसवीं सदी की शुरुआत के साथ ही तकनीकी क्रांति ने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को प्रभावित किया है, और डिजिटल प्लेटफॉर्मों का प्रयोग आज एक सामान्य सामाजिक व्यवहार बन चुका है। संचार, शिक्षा, व्यापार, मनोरंजन और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे अनेक क्षेत्रों में डिजिटल माध्यमों ने अभूतपूर्व विकास की राह खोली है। किंतु, जहाँ एक ओर यह तकनीकी विकास हमारे जीवन को सरल बना रहा है, वहीं दूसरी ओर इसने एक नई और गंभीर सामाजिक समस्या को जन्म दिया है— साइबर यौन अपराध, जो विशेष रूप से महिलाओं को लक्षित करता है। इंटरनेट की अनियमितता, गोपनीयता की

कमी, और डिजिटल साक्षरता की कमी के कारण महिलाएं आज ऑनलाइन स्पेस में असुरक्षित महसूस कर रही हैं।

साइबर यौन अपराधों के अपराधिक गतिविधियाँ हैं जो किसी व्यक्ति विशेष (अधिकांशतः महिलाओं) को डिजिटल या ऑनलाइन माध्यम से यौन रूप से उत्पीड़ित करती हैं। इन अपराधों में ऑनलाइन स्टॉकिंग, मॉर्फ़ेड फोटो/वीडियो वायरल करना, अश्लील मैसेज भेजना, सोशल मीडिया पर चरित्र हनन, जबरन यौन वीडियो कॉल, साइबर बलात्कार की धमकी, पोर्नोग्राफी आदि प्रमुख हैं। कई बार पीड़िता को ब्लैकमेल कर अवांछनीय कार्य करने के लिए मजबूर किया जाता है, और उसकी निजी जानकारी को सार्वजनिक करने की धमकी दी जाती है। यह अपराध न केवल उसकी मानसिक स्थिति को प्रभावित करता है, बल्कि उसका सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक जीवन भी अस्त-व्यस्त कर देता है।

आजकल भारत में मोबाइल और इंटरनेट की पहुँच तेज़ी से बढ़ी है। 2024 तक भारत में 85 करोड़ से अधिक इंटरनेट उपयोगकर्ता हैं, जिनमें बड़ी संख्या में महिलाएँ भी शामिल हैं। महिलाएँ शिक्षा, नौकरी, सामाजिक गतिविधियों और स्वयं की पहचान के लिए डिजिटल माध्यम का प्रयोग कर रही हैं। लेकिन इसी बढ़ती डिजिटल भागीदारी के साथ ही महिलाओं के विरुद्ध साइबर यौन अपराधों में भी भयंकर वृद्धि देखी गई है। विशेष रूप से किशोरी बालिकाएँ, कॉलेज छात्राएँ, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और कामकाजी महिलाएँ इस अपराध का आसान निशाना बन रही हैं।

साइबर अपराधों के पीछे कई कारण हैं — जैसे डिजिटल साक्षरता की कमी, साइबर सुरक्षा नीतियों की जानकारी का अभाव, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों की लचर निगरानी प्रणाली, अपराधियों की पहचान छुपा पाने की क्षमता और कानूनों के ढीले क्रियान्वयन।

इसके अतिरिक्त समाज में महिलाओं के प्रति वर्चस्ववादी और असम्मानजनक दृष्टिकोण भी डिजिटल मंचों पर यौन उत्पीड़न को बढ़ावा देता है। जब कोई महिला सामाजिक या राजनीतिक रूप से सक्रिय होती है, तो उसे अधिक ट्रोलिंग, गाली-गलौज और यौन धमकियों का सामना करना पड़ता है।

इन खतरों की गंभीरता को समझते हुए भारत सरकार ने कई कानूनी प्रावधान और पहलें की हैं। साइबर यौन अपराधों से संबंधित मुख्य प्रावधान सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (Information Technology Act, 2000) और भारतीय दंड संहिता (IPC) में दर्ज हैं। IT Act की धारा 66E (गोपनीयता का उल्लंघन), धारा 67 (अश्लील सामग्री का प्रकटन), 67A (यौन सामग्री का प्रसारण) और 72 (सूचना की गोपनीयता का उल्लंघन) के अंतर्गत अपराधियों को 3 से 7 वर्ष तक की सजा और जुर्माना हो सकता है। IPC की धारा 354A (यौन उत्पीड़न), 354D (स्टॉकिंग), 509 (शब्दों/हाव-भाव से अपमान)

आदि का भी उपयोग साइबर अपराधों में किया जाता है।

इसके अतिरिक्त, POCSO Act, 2012 के अंतर्गत 18 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों के विरुद्ध साइबर यौन अपराधों को विशेष गंभीरता से लिया जाता है। साथ ही, 2020 में शुरू की गई राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (cybercrime.gov.in) के माध्यम से कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकता है। कई राज्यों ने साइबर हेल्पलाइन नंबर (जैसे 1930) और साइबर सेल की स्थापना की है, जो महिलाओं की साइबर सुरक्षा से संबंधित मामलों को प्राथमिकता देती है।

हालांकि कानूनों का होना एक सकारात्मक पक्ष है, लेकिन उनका प्रभावी क्रियान्वयन अब भी एक चुनौती है। पुलिस और जांच एजेंसियों के पास तकनीकी संसाधनों और साइबर अपराधों की समझ की कमी है। कई बार पुलिस एफआईआर दर्ज करने से हिचकती है या पीड़िता को ही दोषी ठहरा देती है। इसके अलावा अपराधी फर्जी अकाउंट्स, VPN, TOR नेटवर्क आदि के ज़रिए अपनी पहचान छुपा लेते हैं, जिससे उन्हें पकड़ना कठिन हो जाता है। ऐसे में न्यायिक प्रक्रिया की धीमी गति और साक्ष्यों के अभाव में पीड़िता को न्याय मिलना मुश्किल होता है।

साइबर यौन अपराधों के सामाजिक और मानसिक प्रभाव अत्यंत गंभीर होते हैं। पीड़ित महिलाओं को सामाजिक कलंक, आत्मग्लानि, भय, अकेलापन और अवसाद जैसी मानसिक स्थितियों का सामना करना पड़ता है। कई बार वे सार्वजनिक मंचों से हट जाती हैं, पढ़ाई-लिखाई या नौकरी छोड़ देती हैं और आत्महत्या जैसे कदम तक उठाने की स्थिति में पहुँच जाती हैं। यह स्थिति न केवल व्यक्तिगत स्तर पर पीड़िता को तोड़ती है, बल्कि समाज के डिजिटल ताने-बाने पर भी प्रश्नचिह्न खड़ा करती है।

पीड़िता की स्थिति और सामाजिक दृष्टिकोण

किसी भी यौन अपराध की सबसे त्रासद और संवेदनशील कड़ी होती है—पीड़िता। वह स्त्री जो शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से एक अत्यंत पीड़ादायक अनुभव से गुजरती है, समाज में न केवल अपराध की शिकार होती है, बल्कि सामाजिक उपेक्षा, आरोपों और तिरस्कार का भी सामना करती है। भारत जैसे पारंपरिक और पितृसत्तात्मक समाज में पीड़िता की स्थिति और भी दयनीय हो जाती है, जहाँ एक महिला का सम्मान उसके शरीर से जोड़ा जाता है और अगर उस पर कोई आघात होता है, तो पूरा दोष उसी पर मढ़ दिया जाता है। चाहे वह बलात्कार का मामला हो, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न हो या साइबर शोषण—हर स्थिति में समाज पीड़िता से यह अपेक्षा करता है कि वह चुप रहे, सहन करे, और "इज्जत" की खातिर अपने दर्द को छिपाए। यह सामाजिक दृष्टिकोण केवल न्याय प्रक्रिया में ही नहीं, बल्कि पीड़िता के पूरे जीवन में अवरोध बनकर खड़ा हो जाता है।

सबसे पहले, पीड़िता को अपनी बात कहने में ही अत्यधिक मानसिक बल और साहस की आवश्यकता होती है। वह यह सोचकर ही डर जाती है कि कहीं समाज उसे दोषी न मान ले, उसे ही 'चरित्रहीन' न करार दे दे। कई मामलों में देखा गया है कि जब कोई महिला यौन शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाती है, तो उसके पहनावे, चाल-चलन, समय-स्थान या मित्रों की संख्या पर सवाल उठाए जाते हैं। उसे बदनाम किया जाता है, उसे ही 'उकसाने वाली', 'झूठी', या 'ध्यान आकर्षित करने वाली' कहा जाता है। यह दृष्टिकोण न केवल अमानवीय है, बल्कि न्याय, सहानुभूति और नैतिक मूल्यों के विरुद्ध भी है। जब तक समाज पीड़िता को सहानुभूति और सम्मान की दृष्टि से नहीं देखेगा, तब तक वह अपराध से अधिक समाज के व्यवहार से पीड़ित रहेगी।

पीड़िता की सामाजिक स्थिति केवल बाहरी प्रतिक्रिया तक सीमित नहीं होती, वह आत्मसम्मान, आत्मग्लानि और मानसिक अवसाद में भी घिर जाती है। उसे ऐसा महसूस होता है कि उसके साथ कुछ ऐसा हो गया है जिससे उसका जीवन समाप्त हो गया है। वह आत्महत्या के विचार तक पहुँच सकती है या समाज से कटकर एकाकी जीवन जीने लगती है। कई बार उसके अपने परिवार वाले, मित्र और रिश्तेदार तक उसे दोषी मानते हैं या उस पर चुप रहने का दबाव डालते हैं। कुछ मामलों में पीड़िता की शादी रुक जाती है, उसकी पढ़ाई छूट जाती है, या नौकरी से निकाल दिया जाता है। ये सब परिणाम समाज की उस मानसिकता को दर्शाते हैं जो पीड़िता के साथ नहीं, बल्कि अपराधी के साथ खड़ी होती है—भले ही अनजाने में ही सही।

विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, जहाँ शिक्षा और जागरूकता की कमी है, पीड़िता के लिए न्याय पाना और भी कठिन हो जाता है। वहाँ सामाजिक दबाव, पंचायतों का हस्तक्षेप, पुलिस की उदासीनता और कानून की जटिलता मिलकर पीड़िता को मजबूर कर देती हैं कि वह समझौता कर ले या खामोश हो जाए। कई बार देखा गया है कि सामूहिक बलात्कार जैसी गंभीर घटनाओं में भी पीड़िता से सुलह कराने की कोशिश की जाती है, कभी आर्थिक सहायता के ज़रिए, तो कभी शादी के प्रस्ताव के ज़रिए। ये घटनाएँ केवल न्याय को अपवित्र ही नहीं करतीं, बल्कि समाज में एक खतरनाक उदाहरण भी स्थापित करती हैं।

शहरी क्षेत्रों में भी, जहाँ आधुनिकता और शिक्षा का बोलबाला है, वहाँ भी स्थिति कुछ अलग नहीं है। कार्यस्थलों, शिक्षण संस्थानों, या मीडिया में यौन शोषण की घटनाओं में जब महिलाएं आवाज़ उठाती हैं, तो उन्हें "प्रोफेशनली खतरे में" डाल दिया जाता है। उन पर आरोप लगाया जाता है कि वे प्रसिद्धि के लिए ऐसा कर रही हैं या अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए झूठी कहानियाँ बना रही हैं। इस तरह का दृष्टिकोण न केवल अपराधियों को बढ़ावा देता है, बल्कि अन्य पीड़िताओं को भी चुप रहने के लिए

मजबूर करता है।

यौन अपराध रोकथाम के लिए सामाजिक सुधार

समाज किसी भी व्यक्ति की सोच, व्यवहार, संस्कार और आचरण की सबसे बड़ी निर्माणशाला होता है। यदि समाज स्वस्थ, संवेदनशील और नैतिक मूल्यों से युक्त हो, तो वह अपने प्रत्येक सदस्य को न्याय, सम्मान और सुरक्षा प्रदान करता है। परंतु जब समाज में विकृति, असंवेदनशीलता, स्त्री-विरोधी मानसिकता और नैतिक गिरावट आ जाती है, तब वहां यौन अपराध जैसी घातक समस्याएं जन्म लेती हैं। आज भारत समेत अनेक देशों में यौन अपराधों की बढ़ती घटनाएं केवल कानूनी चुनौती नहीं हैं, बल्कि यह गहराई से सामाजिक विकृति का परिणाम भी हैं। अतः यदि यौन अपराधों को प्रभावी रूप से रोकना है, तो केवल कानून बनाना या सजा देना पर्याप्त नहीं, बल्कि समाज के मूल ढांचे में व्यापक सुधार की आवश्यकता है। यौन अपराधों की रोकथाम के लिए सामाजिक सुधार न केवल आवश्यक है, बल्कि यह दीर्घकालिक समाधान का सबसे मजबूत आधार भी है।

यौन अपराधों के पीछे कई सामाजिक कारक कार्य करते हैं—जैसे पितृसत्तात्मक मानसिकता, अशिक्षा, लिंग भेद, यौनिकता पर खुली चर्चा का अभाव, अश्लीलता का प्रचार, महिलाओं की वस्तुकरण (objectification), शराब और नशे की संस्कृति, एवं सामाजिक अनदेखी। इन सबका परिणाम यह होता है कि एक वर्ग विशेष—अर्थात् महिलाएं, बच्चियां, और कभी-कभी पुरुष व LGBTQ+ समुदाय भी—लगातार शोषण और उत्पीड़न का शिकार होते हैं। यदि समाज अपने मूलभूत दृष्टिकोणों में सुधार नहीं करता, तो कोई भी कानून, चाहे वह कितना भी कठोर क्यों न हो, स्थायी समाधान नहीं बन सकता।

निष्कर्ष

भारत में महिलाओं के खिलाफ यौन अपराधों का मूल्यांकन केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं रह सकता। यह एक सामाजिक चेतना की माँग करता है, जिसमें हर नागरिक की जिम्मेदारी बनती है कि वह स्त्रियों के प्रति सम्मान, संवेदना और सहयोग का भाव रखे। यह एक समग्र दृष्टिकोण की माँग करता है जो न केवल पीड़िता को न्याय दिलाए, बल्कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोके। जब तक यौन अपराधों को केवल 'अपराध' के रूप में देखा जाएगा और समाज की मौन सहमति बनी रहेगी, तब तक बदलाव संभव नहीं है। परिवर्तन तभी आएगा जब हम इसे 'सामाजिक आपदा' मानकर उससे जूझेंगे, और एक ऐसे भारत की कल्पना करेंगे जहाँ महिलाएँ बिना भय के, गरिमा के साथ जी सकें। यही एक सशक्त और समावेशी समाज की नींव है।

संदर्भग्रंथ सूची

- आर.के. मणिसानासिंह (2018): भारतमेंमहिलाओंकेविरुद्धभेदभाव, आकांक्षापब्लिशर्स, नईदिल्ली
- अंजलिकांत (2018): महिलाएंऔरकानून, एपीएचपब्लिशिंगकॉर्पोरेशन, अंसारीरोड, नईदिल्ली।
- लोरेनवोल्हुटर, नीलओलीऔरडेविडडेनहम (2019): विक्टिमोलॉजी: विक्टिमाइजेशनऔरपीड़ितोंकेअधिकार, रूटलेज- कैवेंडिश, न्यूयॉर्क
- डी. रुफ़सऔरडॉ. बेउला (2020): आईपीजे, कार्यस्थलपरमहिलाओंकायौनउत्पीड़न, खंड LVII- संख्या 4
- डॉ. एस. सान्याल (2020): आईपीजे, कामकाजीमहिलाएंऔरकांचकीछत, खंड LVII-सं.4
- डॉ. रूपकमलकौर (2020): आईपीजे, सीहोरजिलेमेंदहेजमृत्युऔरपितृसत्ता, खंड LVII- संख्या 4
- गुरप्रीतसिंहरंधावा (2016): पीड़ितविज्ञानऔरप्रतिपूरकन्यायशास्त्र, केंद्रीयविधिप्रकाशन, इलाहाबाद
- एसएमएकादरी (2016): अपराधशास्त्रऔरदंडशास्त्र, ईस्टर्नबुक्सकंपनी, लखनऊ
- इंद्रप्रीतकौर (2012): भारतीयपुलिसजर्नल, भूलेहुएव्यक्तिकीदुर्दशा - पीड़ित, जुलाई-सितंबर, 2012, खंड LIX. संख्या 3
- विलियमजी. डोर्नरऔरस्टीवनपी. लैब (2012): विक्टिमोलॉजी, एंडरसनपब्लिशिंग, यूएसए
- एन.वी.परांजपे (2012): अपराधशास्त्रएवंदंडशास्त्र, पीड़ितशास्त्रकेसाथ, केंद्रीयविधिप्रकाशन, इलाहाबाद
- एंड्रयूकारमेन (2013): अपराधपीड़ित: पीड़ितविज्ञानकापरिचय, वड्सवर्थसेंजेजलर्निंग, बेलमोंट, यूएसए
- एनवोलबर्टबर्गेस, चेरीरेघरऔरअल्बर्टआर. रॉबर्ट्स (2013): विक्टिमोलॉजी: सिद्धांतऔरअनुप्रयोग, जोन्सऔरबारलेटलर्निंगपब्लिकेशन्स, बर्लिंगटन।
- अब्राहम, एन., ज्यूकेस, आर., लॉब्सचर, आर, और हॉफमैन, एम. (2006), अंतरंग साथी हिंसा: केप टाउन, दक्षिण अफ्रीका, हिंसा और पीड़ितों में पुरुषों के लिए व्यापकता और जोखिम कारक, 21, 247- 264.